प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **36/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
राजकुमार सुहालका पिता प्रभुलाल सुहालका पताः 22–बी, नाकोड़ापुरम, रॉयल राजविलास के पीछे, भुवाणा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 08.01.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/36/25/242–43 दिनांक 04.03.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार बड़गांव द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ. /2025/88 दिनांक 26.03.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम शोभागपुरा तहसील बड़गांव के खसरा संख्या 1087 से 1096 पर स्थित सेरेमनी रिसोर्ट को मेरिज गार्डन संबंधी व्यवसाय हेतु प्रदत्त अनुमति आदेश, अवैध मेरिज गार्डन की सूची के संबंध में सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का क्षेत्राधिकार नगर निगम उदयपुर एवं नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से होने से आवेदन पत्र की मूलप्रति नगर विकास प्रन्यास को प्रेषित की गई। अतः प्रथम अपील निरस्त करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.01.2025 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध नगर विकास प्रन्यास से संबंधित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को मूल ही प्राधिकृत अधिकारी, उदपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित किया गया और जिसके संबंध में अपीलार्थी को भी सूचित किया गया है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गावं द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-05-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर